27

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

# आदेश

सं0सं0–02 / कोर्ट–24 / 2022 पटना, दिनांक–

डॉ० अकील अहमद, तत्कालीन यक्ष्मा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाका, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनाक–31.07.2017 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु समादेश याचिका सं0–11974 / 2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–01.10 2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन मे सबंधित दण्डादेश अधिसूचना संख्या–259(9) दिनांक– 01.06.2021 एवं सहपठित अधिसूचना संख्या–1606(2), दिनांक–31.08.2023 के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वादी डा0 अहमद को दण्डादेश निर्गत होने तक पेशन एव दिनांक–05.12.2023 को 90 प्रतिशत उपदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं0–11974 / 2019 में दिनांक–01.10.2020 को पारित आदेश के आलोक में उपदान की राशि पर देय ब्याज का भुगतान भी किया जाना है।

2. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त **डॉ0 अहमद की सेवानिवृति की तिथि 31.07.2017 से तीन महीना बाद दिनांक– 01.11.2017 से 90 प्रतिशत उपदान की राशि के भुगतान करने की तिथि 05.12.2023 तक (वित्त विभाग के ज्ञापांक–पी0सी0–2–1–16 / 79 / 3155, दिनांक–07.11.1981 के आलोक में) 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।**

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
**(शैलेश कुमार)**
सरकार के विशेष सचिव।

**ज्ञापांक–2 / कोर्ट–24 / 2022–** 1238(2) **/स्वा0, पटना, दिनांक–** 21 / 7 / **2025**

**प्रतिलिपि** : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव, स्वास्थ्य / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, 9, 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/शिवहर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपराही, शिवहर/डा० अकील अहमद, तत्कालीन यक्ष्मा पदाधिकारी, अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र, ढाका, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–पिता–मो० तैयब, ग्राम–छोटी बलिया, पो०–लखमीनिया, थाना–बलिया, जिला–बेगूसराय, पिनकोड–851211 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1238(2)
21/7/25

21/7/25

**सरकार के विशेष सचिव।**